

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
// आ दे श //


भोपाल, दिनांक 14.7.2017

क्रमांक एफ-1(ए)/2/2017/ई/चार, मध्यप्रदेश वित्त सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को कॉलम-4 में अंकित दिनांक द्वारा कॉलम-3 अनुसार स्थानांतरित कर पदस्थ किया गया है :-

क्र	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्थानांतरण आदेश का दिनांक
1	2	3	4
01.	श्री योगेश दत्त खेमरिया लेखाधिकारी म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा-2	सहायक संचालक कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, जबलपुर	10.7.2017
02	श्रीमती रजनी सक्सेना सहायक संचालक संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर	सहायक संचालक आबकारी आयुक्त मोतीमहल ग्वालियर	10.7.2017
03.	कु.पुष्पा भिड़े लेखाधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, इंदौर	अतिरिक्त कोषालय अधिकारी, नगर कोषालय इंदौर	10.7.2017
04.	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी जिला पेंशन अधिकारी सीधी	जिला पेंशन अधिकारी कटनी	10.7.2017
05.	श्री राजेश कुमार बाजपेयी सहायक संचालक संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय, भोपाल	जिला पेंशन अधिकारी सीधी	10.7.2017
06.	श्री विजय कुमार आथनकर सहायक संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, भोपाल	जिला पेंशन अधिकारी छिन्दवाड़ा	10.7.2017
07.	श्री रामबाबू धाकड़ जिला कोषालय अधिकारी, शाजापुर	जिला पेंशन अधिकारी शाजापुर	10.7.2017

1	2	3	4
08.	श्री नीलकमल नरें जिला कोषालय अधिकारी, अनूपपुर	जिला पेंशन अधिकारी अनूपपुर	10.7.2017
09.	श्री पुष्परज सिंह सेंगर अतिरिक्त कोषालय अधिकारी जिला कोषालय, होशंगाबाद	जिला पेंशन अधिकारी टीकमगढ	10.7.2017
10.	श्री एम.एस.डामर जिला कोषालय अधिकारी, खरगौन	जिला पेंशन अधिकारी बुरहानपुर	10.7.2017
11.	श्री जगदीश चन्द्र वर्मा लेखाधिकारी जिला पंचायत विदिशा	जिला कोषालय अधिकारी खरगौन	10.7.2017
12.	श्रीमती भागवती काग जिला कोषालय अधिकारी, धार	जिला पेंशन अधिकारी धार	10.7.2017

2/ उपरोक्त अधिकारियों के द्वारा आज दिनांक तक नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है अतएव उपरोक्त अधिकारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक **14.7.2017** से एक पक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन कर्तव्य स्थल पर आज ही कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी द्वारा शासन आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो आचरण नियम की अवहेलना मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।


  
(विजय कठान)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल दिनांक 14.7.2017

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1(ए)/9/2016/ई/चार,  
प्रतिलिपि :-

01. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
  02. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर,
  03. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक,
  04. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
  05. संबंधित की ओर-----
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग